फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कैलाशचन्द्र बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

किस्म मुकदमा – 251"क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम . पत्रावली संख्या : 08/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 19.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 2 से 9 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 से 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि मौजा डोरकुंआ पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड की प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 9 की प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 7 में आने जाने, मवेशी, ट्रेक्टर आदि लाने–ले जाने हेतु 30 फिट चौडा रास्ता प्रार्थी की आराजीयात के पश्चिम दिशा में विपक्षी की आराजी न. 5, 6 से होता हुआ सरकारी रास्ता आराजी न. 7696 तक पहूंचता है। उक्त रास्ता प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 9 की उपरोक्त आराजीयात में आने जाने का उपरोक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे विपक्षी की आराजी न. 5, 6 में से 30 फिट चौडा रास्ता प्रार्थी की आराजी तक कायम किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम डोरकुआ की वर्तमान जमाबंदी संवत 2078–81 में खाता संख्या 17 में खातेदार कैलाशचन्द्र पुत्र बद्रीलाल 1/4 रेगर राखिलाल मोची पुत्र चतुर्भज मोची 1/12 मोची राखिलाल मोची पुत्र चतुर्भज 1/6 मोची, कन्ना पुत्र नाथु 1/3 मेघवाल, नारायणी पुत्री नाथु 1/6 मेघवाल सा भीण्डर के नाम खसरा संख्या 19, 23, 24, 7 किता 4 रकबा 1.7300 है. भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की खातेदारी सामलाती भूमि में आने जाने हेतु वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार कानोड द्वारा उक्त आराजीयात पर पहूँच मार्ग हेतु ग्राम डोरकुआ की राजकीय [illegible] भूमि की आराजी संख्या 5 रकबा 0.1300 है. भूमि में से (ल.xचौ.) (48 x 9.50 = [illegible] मीटर), आराजी संख्या 6 रकबा 0.1600 है. भूमि में से (ल.xचौ.) (54 x 9.50 = 513 मीटर मीटर) कु[illegible] 2 रकबा 0.2900 है. भूमि में से 969 मीटर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 16:02:39 IST
Reason: SelfAttested

वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी के आराजी में आने जाने के लिए नहीं होना बताया है रास्ता निकटतम होना बताया तथा अत्यधिक आवश्यक होना बताया। कानोड द्वारा उक्त रास्ते की डीएलसी दर 170000/– प्रति हेक्टेयर व रास्ते की जमा योग्य राशि 32946/– रूपये होना बताया। प्रार्थी अपनी में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह बिलानाम भूमि है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.3(52)स दिनांक 14.06.2013 द्वारा बिलानाम भूमि में से रास्ता दिये जाने के प्रावधान है। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि के अतिरिक्त भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता है जिससे रास्ता कायम किया प्रतित होता है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर शुल्क जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा डोरकुंआ पटवार हल्का (भीण्डर) तहसील कानोड की आराजी नम्बर 7 भूमि में आने जाने हेतु आराजी संख्या 5 रकबा 0.1300 है. भूमि में से (ल.xचौ.) (48 X 9.50 = आराजी संख्या 6 रकबा 0.1600 है. भूमि में से (ल.xचौ.) (54 X 9.50 = मीटर) कुल किता 2 रकबा 0.2900 है. भूमि में से 969 मीटर अर्थात 0.0 का रास्ता तहसीलदार कानोड द्वारा प्रस्तावित राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वा डीएलसी दर 170000/– अक्षरे एक लाख सतर हजार रूपयें प्रति हेक्टेय से प्रस्तावित रास्ता की कुल कीमत 16473/– रूपये का दुगुना 32946/– बत्तीस हजार नौ सौ छियालीस रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी को अदा करने के पश्चात् इस भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सके मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसील कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया ग

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:02:39 IST
Reason: SelfAttested